

क्रमांक:- प.2(9193)सूप्रौ/संस्था/2020/05888/2020

जयपुर, दिनांक 29-12-2020

कार्यालय आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य सेवा के अधोलिखित अधिकारियों को वर्ष 2021-22 में अधिवार्षिक आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से उन्हें राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम एवं पद	पदस्थापन विभाग	जन्म दिनांक	सेवा निवृत्ति दिनांक
1	श्री संजीव सिन्हा, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक)	निर्वाचन विभाग, जयपुर	10-04-1961	30-04-2021
2	श्रीमती दीप लक्ष्मी माथुर, प्रोग्रामर	निर्वाचन विभाग, जयपुर	04-04-1961	30-04-2021
3	श्रीमती सुनीला व्यास, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक)	डी.आर. साईट, सू. प्रौ. और संचार विभाग, जोधपुर	06-05-1961	31-05-2021
4	श्री सत्यदेव व्यास, सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	जिला कार्यालय, सू. प्रौ. और संचार विभाग, भीलवाड़ा	01-07-1961	30-06-2021
5	श्री मुकेश कुमार वर्मा, प्रोग्रामर	रोजगार विभाग, जयपुर	09-06-1961	30-06-2021
6	श्री दीपक बिहारी माथुर, प्रोग्रामर	राज्य उपभोक्ता आयोग, जयपुर	07-06-1961	30-06-2021
7	श्री बंशी लाल नुवाल, प्रोग्रामर	उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग, भीलवाड़ा	01-07-1961	30-06-2021
8	श्री भंवर सिंह नाथावत, तकनीकी निदेशक	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर	06-07-1961	31-07-2021
9	श्री रमेश चंद शर्मा, अतिरिक्त निदेशक	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर	15-08-1961	31-08-2021
10	श्री हरीश कुमार शर्मा, प्रोग्रामर	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर	26-11-1961	30-11-2021
11	श्री शंकर लाल भाटी, अतिरिक्त निदेशक	जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जोधपुर	15-12-1961	31-12-2021
12	श्री प्रवीण कुमार भारद्वाज, सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर	15-01-1962	31-01-2022
13	श्रीमती संध्या शर्मा, प्रोग्रामर	सिंचाई विभाग (जल संसाधन विभाग), जयपुर	14-01-1962	31-01-2022
14	श्री अर्जुन लाल नेहरा, प्रोग्रामर	कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर	13-03-1962	31-03-2022

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नामित अधिकारियों के विरुद्ध आज तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 वर्तमान में कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

कृपया सिविल रिट 8734/2016 डॉ. प्रभात कांवरिया बनाम राज्य सरकार व अन्य के संबंध में दिनांक 05.12.2016 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप राजकीय आवास में अधिवासित अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों में आवंटि की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

आज्ञा से,

- S.d. -
(विरेंद्र सिंह)

आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/ आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राज. जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, राज. जयपुर।
4. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष. संबंधित विभाग।
5. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, संबंधित जिला।
6. उप निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, संबंधित जिला।
7. संबंधित अधिकारी।
8. लेखा शाखा, संबंधित विभाग।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव